



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश

8, अरेराहिल्स, जेलरोड, भोपाल




क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि-एम.ओ/2020/8962
// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 08.07.2020

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉ. रामवीर सिंह रघुवंशी, संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी जिला गुना में कार्यरत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना के पत्र क्रमांक एन.एच.एम/स्थापना/2020/6279 दिनांक 24.03.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ. रामवीर सिंह रघुवंशी 30 जून 2020 को 67 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं का कार्यकाल बढ़ाये जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।

डॉ. रामवीर सिंह रघुवंशी, संविदा चिकित्सा अधिकारी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बूढ़े बालाजी, जिला गुना की सेवा अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाये जाने की अनुमति आदेश जारी होने की दिनांक से प्रदान की जाती है।

(मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा अनुमोदित)


(अनुकूल जैन) 08/07/20


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सं.नि-एम.ओ/2020/8963

भोपाल, दिनांक: 08.07.2020

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.।
3. अपर संचालक प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. अपर मिशन संचालक एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
6. संचालक, वित्त, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, म.प्र.।
8. कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति गुना, म.प्र.।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पर उपस्थिति ली जाये।
10. उप संचालक, आई.टी. एन.एच.एम की ओर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. डॉ. रामवीर सिंह रघुवंशी, संविदा चिकित्सा अधिकारी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बूढ़े बालाजी, जिला गुना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संभागीय संयुक्त संचालक ग्वालियर के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त कर अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना को प्रस्तुत करें।
12. आदेश नस्ती।


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश